

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट मार्च 2013 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती है।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2012-13 की अवधि में देखे गये थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं की जा सके; 2012-13 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग को लेखापरीक्षा संसूचित करता है।

